# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या** – 81 / 2024 अपील (GCMS 2024/97)
**पंजीयन दिनांक**– 21 / 11 / 2024
**निर्णय दिनांक**– 27 / 03 / 2026

श्रीमती झमकू बाई पुत्री शंकर गुर्जर, निवासी गांव जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर

**–अपीलांट**

**बनाम**

1. श्री जमनालाल पुत्र भीमा गुर्जर, निवासी गांव जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्री देवीलाल पुत्र स्व. हंगामी गुर्जर (माता), निवासी खजूरिया खेडी, पोस्ट बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. श्रीमती हुडीबाई पुत्री स्व. हंगामी गुर्जर (माता), निवासी खजूरिया खेडी, पोस्ट बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. श्रीमती डाकूबाई पुत्री स्व. हंगामी गुर्जर (माता), निवासी खजूरिया खेडी, पोस्ट बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री स्व. हंगामी गुर्जर (माता), निवासी खजूरिया खेडी, पोस्ट बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. श्रीमती अण्छीबाई पुत्री स्व. हंगामी गुर्जर (माता), निवासी खजूरिया खेडी, पोस्ट बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
7. श्रीमती साहिबाबाई पुत्री स्व. हंगामी गुर्जर (माता), निवासी खजूरिया खेडी, पोस्ट बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. पटवारी जावड, तहसील मावली, जिला उदयपुर
9. तहसीलदार–मावली, जिला उदयपुर

**–रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितिः–**

1. श्री भरत जैन – वकील अपीलांट
2. श्री सम्पत लाल बोहरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा–76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मावली के प्रकरण संख्या 01/2022
निर्णय दिनांक 29.10.2024

## निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मावली के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 29.10.2024 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जावड़, तहसील मावली स्थित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1633 दिनांक 07.07.2020 को खातेदार नानीबाई बेवा शंकर गुर्जर, निवासी जावड़ की मृत्यु होने से गोदनामे के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 जमनालाल के नाम ग्राम पंचायत, जावड़ ने स्वीकृत किया। इस नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपीलांट झमकु पुत्री शंकर लाल गुर्जर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 29.10.2024 को खारिज कर दी गयी। इस आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 07 बावजूद सूचना के मय वकील अनुपस्थित जिससे वकील अपीलांट व वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत जावड़ ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृत खातेदारी की जीवित पुत्रियों को कोई सूचना नहीं दी गई न ही उन्हें सुना गया जबकि अपीलांट एवं उसकी बहन हंगामी के वारिसान जीवित है। ग्राम पंचायत ने जिस गोदनामें के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 जमनालाल के नाम अकेले नामान्तरकरण स्वीकृत किया है वह फर्जी है। यह भी बताया कि यदि गोदनामे को सही भी मान लिया जावे तो

संभागीय आ... उदयपुर (राज.)

अकेले पुत्र के नाम पर नामान्तरकरण केसे स्वीकृत किया जा सकता है जबकि मृत खातेदार की दो पुत्रियां भी है। पुत्रियों के नाम भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नामान्तरकरण खोला जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामे के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण तो सही माना है परन्तु मृत खातेदार की सारी सम्पत्ति का एक मात्र वारिस जमनालाल को मानने में भूल की है जबकि जमनालाल, झमकु व हंगामी तीनों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये। अंत में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बताया कि यदि गोदनामा फर्जी है तो अपील सक्षम न्यायालय में चाराजोई करे। मृत खातेदारों की दोनों पुत्रियों ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग मृत खातेदार के पक्ष में पूर्व में ही कर दिया था जिससे सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व मृत खातेदार नानीबाई का था। जमनालाल चूंकि गोद पुत्र था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा अकेले जमनालाल के नाम भूमि दर्ज करके कोई अनियमितता नहीं की है, जिससे अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। साथ ही अपने पक्ष में लिखित बहस व आर.आर. टी. 2001 (2) पेज 882, आर.बी.जे. 2002 पेज 514, आर.आर.डी. 1983 पेज 159, ए.आई.आर. 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 431, डी.एन.जे. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 118, आर.एल.आर. 1999 (1) हाई कोर्ट पेज 512 प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा दिनांक 29.10.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

*हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।* ***वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश किया।***

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

*प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल पुरूष शंकर गुर्जर की मृत्यु पश्चात उनकी कृषि सम्पत्ति उनकी पत्नि नानीबाई व पुत्रियों झमकू बाई व हगामी बाई के नाम पर दर्ज हुई। तत्पश्चात दोनों पुत्रियों द्वारा माता के नाम पर हक त्याग करने से भूमि नानीबाई बेवा शंकर गुर्जर के नाम इन्द्राज हुआ। कालान्तर में नानीबाई की मृत्योपरान्त जरिए पंजीकृत गोदनामा अपीलाधीन भूमि जमनालाल मुतबन्ना शंकर गुर्जर के नाम नामान्तरित हुई, जिसकी अपील में उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा जरिए आदेश 29.10.2024 को नामान्तरकरण संख्या 1633 दिनांक 07.07.2020 को बहाल रखा जिससे असंतुष्ट होकर श्रीमती झमकू पिता शंकर गुर्जर द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।*

**प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मूल खातेदार शंकरलाल के विधिक वारिसान उनकी बेवा नानीबाई व दो पुत्रियां श्रीमती झमकू व श्रीमती हगामी थी, जिनके नाम विरासत से प्रथम नामान्तरकरण हुआ तथा उनके द्वारा अपनी माता के पक्ष में दिनांक 06.04.1999 हक त्याग किए जाने से अपीलाधीन सम्पूर्ण भूमि माता नानीबाई के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात माता नानीबाई की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि श्री जमनालाल पुत्र भीमा गुर्जर के नाम बतौर गोदपुत्र दर्ज हुई, जिसका आधार दस्तावेज दिनांक 12.04.1999 को पंजीकृत गोद पत्र रहा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा उक्त गोदनामे में पुत्रियों की गोदपुत्र को सम्पत्ति के अधिकार की सहमति के अंकन के आधार पर उनका क्लेम खारिज किया गया।**

उल्लेखनीय है कि गोदनामा निरस्तगी का वाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मावली में लम्बित होना अपीलार्थी द्वारा जाहिर किया है। प्रकरण में यह बिन्दू विचारणीय है कि इच्छा पत्र (will) के अभाव में गोदनामा किसी एक को सम्पूर्ण विरासतीय अधिकार प्रदान कर अन्य संतानों को कैसे वंचित कर सकता है। पुत्रियों के हक

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

त्याग व 25 वर्षीय युवक के पक्ष में गोदनामा क्रमशः 06.04.1999 व 12.04.1999 को सम्पादित होना भी विचारणीय है।

उक्त पृष्ठभूमि में गोदनामा दिनांक 12.04.1999 की वैधता को प्रथम दृष्टया स्वीकारने पर अन्य संतानों के साथ गोदपुत्र को संयुक्त रूप से विरासतीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः प्रकरण में ग्राम जावड़, पटवार हल्का जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर की अपीलाधीन कृषि भूमि में नानी बाई बेवा शंकर गुर्जर की मृत्योपरान्त विरासत व गोदनामे से गोदपुत्र जमनालाल के साथ दोनों मूल विधिक वारिस पुत्रियों झमकू व हगामी का भी बराबर का 1/3 हिस्सा बनता है।

*उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मावली के आदेश दिनांक 29.10.2024 में संशोधन किया जाकर गोद पुत्र जमनालाल, पुत्री झमकू व पुत्री हगामी/उनके वारिस के हक में अपीलाधीन भूमि के तीन बराबर हिस्से निर्धारित किए जाते हैं। चूंकि गोदनामे की वैधता के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है, अतः व्यापक न्यायहित में पक्षकारगण उक्त वाद के अन्तिम निर्णय तक भूमि हस्तान्तरण से प्रतिबन्धित रहेंगे।*

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर